उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-40/2018/3806/37-1-2018-2(29)/2018 टी0सी0
लखनऊः दिनांक 28 दिसम्बर, 2018

कार्यालय-आदेश

पशुपालन विभाग के स्तम्भ-2 में अंकित अधिकारियों की दिनांक 31-12-2018 को सेवानिवृत्ति/ पद की रिक्तता के दृष्टिगत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार अग्रिम आदेशों तक प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रभार
1	2	3
1	डा0 रामाशीष सिंह, अपर निदेशक ग्रेड-2, झांसी मण्डल, झांसी।	डा0 अशोक कुमार सिंह (ज्ये0क्र0-370), अपर निदेशक ग्रेड-2, चित्रकूट मण्डल, बांदा।
2	अपर निदेशक ग्रेड-2, मेरठ मण्डल, मेरठ। (पद रिक्त)	डा0 अरविन्द कुमार सिंह (ज्ये0क्र0-520), मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, मेरठ।
3	डा0 रामबली मौर्य, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, संतरविदासनगर (भदोही)।	डा0 आई0ए0 खान (ज्ये0क्र0-535), संयुक्त निदेशक, पैथोलॉजी, वाराणसी।
4	डा0 फणीस सिंह, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, सिद्वार्थनगर।	डा0 ओम प्रकाश (ज्ये0क्र0-559), संयुक्त निदेशक, पैथोलॉजी।
5	डा0 कृष्ण प्रताप सिंघल, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रामपुर।	डा0 राजेश मोहन (ज्ये0क्र0-372), अपर निदेशक ग्रेड-2, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
6	डा0 कमलेश चन्द्र त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक, पैथोलॉजी लखनऊ।	डा0 अजीत सिंह (ज्ये0क्र0-582), संयुक्त निदेशक, गायनो0।
7	डा0 शिव कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक, गायनो0 मुरादाबाद।	डा0 अनिल कुमार-3 (ज्ये0क्र0-631), संयुक्त निदेशक, पैथोलॉजी, मुरादाबाद।
8	डा0 शिव कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, डी0एफ0एस0, मझरा, खीरी।	डा0 विद्याभूषण सिंह (ज्ये0क्र0-633), संयुक्त निदेशक, प्रचार प्रसार निदेशालय, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- अतिरिक्त प्रभार प्रदान किये गये अधिकारियों को कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या-40/2018/3806(1)/37-1-2018तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(2) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(3) संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रघुवीर प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।